

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/867/2019/10-11/२५५३ भोपाल, दिनांक २५-०७-१९
प्रेषक :—

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

सहायक वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय:— छिन्दवाड़ा जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र (Specical Economic Zone) की स्थापना/
निर्माण हेतु 8.33 हेक्टेयर वनभूमि एवं 72.407 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल
80.737 हेक्टेयर भूमि मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर को
उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक / 8-16/2019-FC दिनांक 23.07.2019

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा
आपने विषयांकित प्रकरण में 08 बिन्दुओं पर जानकारी चाही है, जो कि निम्नानुसार है:—

- 1— बिन्दु क्रमांक 1 के पालन में जरिटिफिकेशन ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 की बिन्दु
क्रमांक D(i) में अपलोड कर दिया गया है एवं हार्डकॉपी में संलग्न प्रेषित है।
- 2— बिन्दु क्रमांक 2 के पालन में प्रस्ताव में प्रभावित कुल 1320.065 हेक्टेयर की KML
file ऑनलाईन प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक C(ii)(a) के कॉलम 2 में 0 हेक्टेयर पर अपलोड कर
दी गई है।
- 3— बिन्दु क्रमांक 3 के पालन में वनमण्डलाधिकारी दक्षिण छिन्दवाड़ा को 07 वर्ष के
रथान पर 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। औपचारिक
स्वीकृति के पूर्व आपको अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।
- 4— बिन्दु क्रमांक 4 की जानकारी ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 के Additional
information Details के बिन्दु क्रमांक-2 में अपलोड कर दी गई है एवं हार्डकॉपी संलग्न
प्रेषित है।
- 5— बिन्दु क्रमांक 5 की जानकारी ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 के Additional
information Details के बिन्दु क्रमांक-3 में अपलोड कर दी गई है एवं हार्डकॉपी संलग्न
प्रेषित है।
- 6— बिन्दु क्रमांक 6 की जानकारी ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 के Additional
information Details के बिन्दु क्रमांक-4 में अपलोड कर दी गई है एवं हार्डकॉपी संलग्न
प्रेषित है।

7— बिन्दु क्रमांक 7 की जानकारी ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-L(vi) में अपलोड कर दी गई है।

8— बिन्दु क्रमांक 8 के पालन में Cost-Benefit analysis for the Project की जानकारी ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-G में अपलोड कर दी गई है एवं हार्डकॉपी संलग्न प्रेषित है।

आपके द्वारा पैरा 2 में चाही गई जानकारी के संबंध में लेख है कि आवेदक संस्थान द्वारा व्यपवर्तित हो रही 80.737 हेक्टेयर वन भूमि के बदले समतुल्य 83.142 हेक्टेयर गैर वन भूमि उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार इससे अधिक गैर वन भूमि उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती है तो तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

अतः उपरोक्तानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण हो गई है। कृपया प्रकरण को आगामी FAC की बैठक में रखने का कष्ट करें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

४५१७।।९
(सुनील अग्रवाल)
भोपाल, दिनांक २५-०७-१९

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 867 / 2019 / 10-11 / २५५५

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाड़ा वृत्त छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
- 2- वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल दक्षिण छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
- 3- संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड, 09 इमामबाड़ा रोड, नागपुर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

४५१७।।६
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल